झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष, श्रीमती शबनम परवीन का दिनांक–08.07.2025 एवं दिनांक–09.07.2025 को चतरा एवं हजारीबाग जिले में औचक निरीक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की माननीय प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा दिनांक–08.07.2025 एवं दिनांक–09.07.2025 को चतरा एवं हजारीबाग जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा इन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् संचालित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। साथ ही इन जिलों के सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई।

चतरा जिला

❖ स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–08.07.2025

➢ ***कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय :–***

- दिनांक–08.07.2025 को आयोग द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, चतरा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन दिये जाने की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा छात्राओं के लिये बने भोजन की गुणवत्ता की जाँच की गईं। जाँच में भोजन की गुणवत्ता सही पाई गई। विद्यालय के दीवार पर पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***जनवितरण प्रणाली केन्द्र :–***

- जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री मनीष कुमार गुप्ता, अनुज्ञप्ति सं0–83 / 17.18, वार्ड नं0–07, जिला–चतरा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में राशन दुकान खुला हुआ पाया गया। राशन डीलर द्वारा शत प्रतिशत राशन वितरण की बात कही गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष द्वारा अधूरे सूचना पट्ट को सही ढंग से अपडेट करने का निर्देश दिया गया। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा चतरा जिला में कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं द्वारा बताया गया कि वे लोग आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों को केन्द्र में भर्ती कराए हैं। बच्चों की माताओं द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हें प्रतिदिन केन्द्र में भोजन एवं 130 /– रू0 प्रतिदिन की दर से राशि दिया जाता है। कुपोषण उपचार केन्द्र में बच्चों का समुचित ईलाज किया जाता है एवं लाभुकों द्वारा कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

> ***सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला का निरीक्षण :–***

- आयोग द्वारा चतरा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला का निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र के कुछ लाभुकों द्वारा बताया गया कि उनका हरा राशन कार्ड है। इस सम्बन्ध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि चूंकि अन्त्योदय राशन कार्ड डायरेक्ट नहीं बन पाता है, पहले हरा राशन कार्ड बनता है। उक्त क्षेत्र के लाभुकों के हरा राशन कार्ड को PVTG में परिवर्तित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

> ***बिरहोर टोला अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा चतरा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर एवं दयनीय स्थिति में पाया गया। भविष्य में कोई दुर्घटना होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्र में खिड़की एवं दरवाजा टूटा हुआ पाया गया। केन्द्र में बच्चों के बैठने की व्यवस्था एवं पढ़ाने के लिये ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों द्वारा बताया गया कि सेविका सुबह 10 बजे आती है एवं खिचड़ी तथा हलुवा देकर चली जाती है। सेविका अपने घर से खिचड़ी एवं हलुवा बना कर लाती है। बच्चे खिचड़ी खाने के लिये बर्तन अपने घर से लेकर आते हैं। केन्द्र में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। बच्चों द्वारा यह भी बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र में उन्हें कभी–भी अण्डा नहीं मिलता है। उक्त क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं द्वारा बताया गया कि उन्हें पोषाहार का पैकेट कभी–कभी ही मिलता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित राशि किसी भी लाभुक को नहीं मिली है। निरीक्षण के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा भी उपस्थित थीं। उनके द्वारा उक्त क्षेत्र का न तो कभी भ्रमण किया गया और न ही उन्हें क्षेत्र की कोई जानकारी है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, चतरा।**

- दिनांक–08.07.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, चतरा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे चतरा जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए सभी शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर

कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की राशि में कटौती कर लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा लिखित रूप में पत्र आयोग को भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि आयोग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु विभाग से पत्राचार किया जा सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में इंटरनेट की काफी समस्या है। इस पर आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है।

<u>हजारीबाग जिला</u>

❖ **स्थलीय निरीक्षण : दिनांक–09.07.2025**

➢ *<u>पी0 एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) :–</u>*

- दिनांक–09.07.2025 को आयोग द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय दादपुर कन्या, प्रखण्ड–चौपारण–1, जिला–हजारीबाग, U DISE – 20040511801 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के दीवार पर पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा विद्यालय की छात्राओं से भोजन के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने एवं कोई समस्या नहीं होने की बात बताई गई **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- आयोग द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मानगढ़, प्रखण्ड–चौपारण–1, जिला–हजारीबाग, U DISE – 20040504201 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के दीवार पर पी0एम0 पोषण से सम्बन्धित मेन्यू अंकित पाया गया। सरकार द्वारा विद्यालय में सप्ताह में दो दिन अण्डा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विद्यालय में शुक्रवार के दिन सभी बच्चों को फल एवं सोमवार के दिन सभी बच्चों को अण्डा दिया जाता है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा निर्देश दिया गया कि जो बच्चे अण्डा खाते हैं, उन्हें शुक्रवार को भी अण्डा दिया जाए। **(फोटो की प्रति संलग्न)**
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा मेन्यू के अनुसार भोजन मिलने

एवं प्रतिदिन दूध तथा Horlicks मिलने की बात कही गई। विद्यालय में मेन्यू अंकित पाया गया एवं छात्राओं द्वारा कोई समस्या नहीं होने की बात कही गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***आंगनबाड़ी केन्द्र***

- आयोग द्वारा सदर (शहरी) हजारीबाग के आंगनबाड़ी केन्द्र (कोड–33) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केन्द्र के बच्चों द्वारा प्रतिदिन अण्डा मिलने की बात बताई गई। केन्द्र में निबंधित गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं द्वारा तीन पैकेट पोषाहार मिलने की बात बताई गई। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका को निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों को जितना पोषाहार आवंटित होता है, उतना देना सुनिश्चित करें। लाभुकों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से सम्बन्धित लाभ मिल रहा है। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

➢ ***कुपोषण उपचार केन्द्र :–***

- आयोग द्वारा हजारीबाग सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण किया गया। केन्द्र में 20 बच्चों की क्षमता है, वर्तमान में 07 बच्चे भर्ती हैं। केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं से पूछने पर उनके द्वारा प्रतिदिन भोजन मिलने एवं प्रतिदिन 130/– रू0 की नगद राशि दिये जाने की बात कही गई। बच्चों का समुचित ईलाज किया जा रहा है। कोई समस्या नहीं होने की बात बताई गई। **(फोटो की प्रति संलग्न)**

❖ **समीक्षात्मक बैठक, हजारीबाग।**

- दिनांक–09.07.2025 को अपराह्न 03:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक परिसदन भवन, हजारीबाग में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या, श्रीमती शबनम परवीन के अलावे हजारीबाग जिले के अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी आदि उपस्थित रहे।

  (फोटो की प्रति संलग्न)

- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की सूची सम्बन्धित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए इन शिकायतों पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। उपस्थित पदाधिकारियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित संकल्प की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस कोष के समुचित रूप से इस्तेमाल हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देश दिये गये।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस पंचायत के व्यक्तियों का राशन कार्ड सरेंडर अथवा डिलिट कराया जाता है, तो उसी पंचायत के लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाए अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाए।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड बनाने, कार्ड में नाम जोड़ने आदि से सम्बन्धित कार्य में विभागीय पोर्टल में 20 लोगों का ही आवेदन प्रदर्शित होता है। चूंकि उक्त से सम्बन्धित कार्य पोर्टल में क्रमानुसार होता है। ऐसे में जो ज्यादा जरूरतमंद हैं, उनका काम समय पर नहीं हो पाता है।

❖ **आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा चतरा एवं हजारीबाग जिलों में बैठकों के दौरान दिये गये प्रमुख निर्देशः–**

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित दोनों जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों से अपने–अपने जिलों के सभी प्रखण्डों में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के जिला स्तर पर आवंटन की स्थिति, पंचायत स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं व्यय के विवरण से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि राज्य के प्रत्येक पंचायत को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से 10,000/– रू0 की राशि आवंटित की जाती है। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के अन्तर्गत वैसे व्यक्ति जो गरीब एवं असहाय हैं, स्वयं खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर सकते, जिनके सामने भोजन का संकट हो अथवा राशन कार्ड की अहर्ता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड नहीं है एवं राशन नहीं मिलने के कारण उनके साथ कोई अनहोनी या दुर्घटना न हो जाए, इस हेतु झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। उक्त कोष के तहत् लाभुक को बाजार दर पर 10 कि0ग्रा0 खाद्यान्न खरीद कर उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखण्ड स्तर पर राशि के आवंटन की कमी होने अथवा राशि समाप्त होने पर इसकी सूचना जिले के अधिकारियों को दी जाए। यह राशि कभी खत्म नहीं होने वाली राशि है। प्रत्येक पंचायत में 10,000/– रू0 की राशि उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करें। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सभी पदाधिकारियों को अपने स्तर से समीक्षा करने का निर्देश दिया गया एवं झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से सम्बन्धित प्रखण्डवार विवरणी की मांग की गई।

- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बताया गया कि लोगों एवं जनप्रतिनिधियों को झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे प्रखण्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उन्हें जागरूक करें एवं योग्य लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष का लाभ दिलाने में अपनी भूमिका निभाएँ। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं। उनके साथ बैठक कर उन्हें सम्बन्धित योजनाओं से अवगत कराएँ एवं उनसे सुझाव भी मांगे।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से आच्छादित योजनाओं यथा–जनवितरण प्रणाली, पी0एम0 पोषण, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को उक्त योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों से कहा गया कि नया राशन कार्ड बनाने अथवा राशन कार्ड में नाम जोड़ने सम्बन्धी शिकायतें जो आयोग के माध्यम से उन्हें भेजे जाते हैं, इन मामलों में यदि रिक्ति नहीं होने के कारण लाभुक का राशन कार्ड नहीं बन पाता है अथवा राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ पाता है, तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन आयोग को भेजें, ताकि शिकायतकर्ता को इससे अवगत कराते हुए मामले को निष्पादित किया जा सके।
- प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि कई बार शिकायतकर्ता द्वारा राशन डीलर के विरूद्ध शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाता है अथवा कार्ड डिलिट करा दिया जाता है। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा डीलर को मनमानी करने से रोकने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा कहा गया कि प्रायः यह पाया जाता है कि राशन डीलर द्वारा लाभुकों को ई–पॉस मशीन से निकलने वाला पर्ची नहीं दिया जाता है, ऐसे में लाभुकों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उन्हें कितना राशन मिलना है। प्रभारी अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को पर्ची मिल सके।
- समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राशन कार्ड से नाम डिलिट करने, डीलर बदलने, लिंग सुधार एवं उम्र सुधार करने से सम्बन्धित आवेदन में विलंब नहीं किया जाए। लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुसार राशन दिलाना सुनिश्चित करें।

- आयोग द्वारा चतरा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला के आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान पाई गई गड़बड़ियों को दूर करने एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मामलों से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनवितरण प्रणाली केन्द्रों, विद्यालयों में दिये जाने वाले पी०एम० पोषण एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना से सम्बन्धित सूचना पट्ट अंकित करवाना सुनिश्चित करें, ताकि लाभुकों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित सभी पदाधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देने एवं लाभुकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
- आयोग की प्रभारी अध्यक्ष–सह–सदस्या द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोगों को अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने हेतु प्रेरित करें, ताकि शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही हो सके।

इसके साथ चतरा एवं हजारीबाग जिला भ्रमण समाप्त हुआ।

15.7.25
(शबनम परवीन)
सदस्या–सह–प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

जिला–चतरा

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, चतरा का स्थलीय निरीक्षण।

2. जनवितरण प्रणाली विक्रेता, श्री मनीष कुमार गुप्ता, अनुज्ञप्ति सं0–83 / 17.18, वार्ड नं0–07, जिला–चतरा का स्थलीय निरीक्षण।

3. चतरा जिला में कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।

4. चतरा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला का निरीक्षण।

5. चतरा जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत होलमगढ़ाखुर्द (चटनिया) के बिरहोर टोला के आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण।

6. परिसदन भवन, चतरा में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

जिला–हजारीबाग

7. उत्क्रमित मध्य विद्यालय दादपुर कन्या, प्रखण्ड–चौपारण–1, जिला–हजारीबाग, U DISE – 20040511801 का निरीक्षण।

8. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मानगढ़, प्रखण्ड–चौपारण–1, जिला–हजारीबाग, U DISE – 20040504201 का निरीक्षण।

9. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, प्रखण्ड–चौपारण, जिला–हजारीबाग का स्थलीय निरीक्षण।

10. सदर (शहरी) हजारीबाग के आंगनबाड़ी केन्द्र (कोड–33) का निरीक्षण।

11. हजारीबाग सदर अस्पताल अवस्थित कुपोषण उपचार केन्द्र का निरीक्षण।

12. परिसदन भवन, हजारीबाग में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।